उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-64/2016/1857/92-2-16-58जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक 20 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के कार्यो से संबंधित सूचना न उपलब्ध कराने, शासन तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की लगातार अवहेलना में संलिप्त रहने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/2016/1512/92-2-16-58जांच/2016 दिनांक 08.08.2016 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच कार्यवाही में शीघ्रता के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1655/92-2-16-58जांच/2016 दिनांक 12.09.2016 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के स्थान पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी की जांच आख्या सम्प्रति प्रतीक्षित है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर (सम्प्रति निलम्बित) को तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ एतदद्वारा सेवा में बहाल किया जाता है कि उनके विरूद्व संस्थित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

3- उक्त बहाली के पश्चात श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर (सम्प्रति निलम्बित) की तैनाती का आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 64/2016/1857(1)/92-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बुलंदशहर द्वारा-
निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।